लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2461

21 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

बुनकरों की कम आय

2461. श्री एम. बदरूद्दीन अजमल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हथकरघा गणना के अनुसार, लगभग 67 प्रतिशत बुनकर अब भी 5,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं, जो न्यूनतम वेतन नियम के अनुसार एक अकुशल श्रमिक की आय से भी कम है;

(ख) क्या कम आय के कारण बुनकर की कुल संख्या में कमी आई है क्योंकि मौजूदा बुनकर इस परंपरा को अपनी अगली पीढ़ियों को सौंपने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं;

(ग) भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले हथकरघा कामगारों के कल्याण के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, और

(घ) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बुनकरों के कल्याण हेतु आबंटित/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): हथकरघा बुनाई मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत घरेलू गतिविधि है जिस पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं होता है।

(ख): तीसरी हथकरघा संगणना 2009-10 के अनुसार जिसमें हथकरघा कामगार परिवारों की संख्या 27,83,271 थी, की तुलना में चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2019-20 में हथकरघा गतिविधियों (बुनाई और संबद्ध गतिविधियों) में लगे परिवारों की कुल संख्या बढ़कर 31,44,839 हो गई है।

(ग) और (घ): हथकरघा क्षेत्र की सहायता करने और हथकरघा बुनकरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वस्त्र मंत्रालय देश भर में निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चे माल, सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के तहत आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (31.10.2022तक)	
		आबंटित	उपयोग की गई*	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	184.74	182.87	142.08	113.82	166.71	149.14	161.49	159.53	165.50	165.37	200.00	76.43
2	कच्चा माल आपूर्ति योजना	200.00	199.84	155.41	126.84	165.21	142.21	70.00	60.32	105.00	89.53	105.00	102.10

*उपयोग की गई/जारी की गई निधियां राज्य सरकारों और अन्य हथकरघा संगठनों से प्रस्तावों की प्राप्ति और पहले जारी की गई निधियों आदि के उपयोग पर आधारित है।

******